सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/DEV-3509/MH/283/2024-RO-BH (RU-I) **दिनांक: 18.05.2026**

जिलाधिकारी,
जिला-चंद्रपूर,
जिलाधिकारी कार्यालय,
चंद्रपुर- 442401,महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.chandrapur@maharashtra.gov.in

विषय: अनावेदकों द्वारा आवेदिका के पूर्वजों की भूमि पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कब्जा किए जाने के संबंध में श्रीमती कितूंशा प्रकाश गडपायले व अन्य, निवासी-वाडी, नागपूर (महाराष्ट्र) से प्राप्त दिनांक 04.07.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 20.04.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती कितूंशा प्रकाश गडपायले,
निवासी-वाडी, नागपूर,
महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-3509/MH/283/2024-RO-BH (RU-I)

अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

अनावेदकों द्वारा आवेदिका के पूर्वजों की भूमि पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कब्जा किए जाने के संबंध में श्रीमती कितूंशा प्रकाश गडपायले व अन्य, निवासी-वाडी, नागपुर (महाराष्ट्र) से प्राप्त दिनांक 04.07.2024 के अभ्यावेदन के संदर्भ में दिनांक 20.04.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 20.04.2026

अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार, श्रीमती कितूंशा प्रकाश गडपायले, निवासी वाडी, नागपुर (महाराष्ट्र) ने अवगत कराया कि वे अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हैं। उनके पिता अशिक्षित होने के कारण अनावेदकों द्वारा नोटरी के माध्यम से उनके पूर्वजों की भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है।

नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के विक्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जो इस प्रकरण में प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार आवेदक की पैतृक भूमि का अवैध एवं गैरकानूनी उपयोग किया जा रहा है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में उप-विभागीय अधिकारी, जिला चंद्रपुर द्वारा दिनांक 16.09.2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में निम्नलिखित बिंदु अवगत कराए गए—

संबंधित भूमि का आवंटन पूर्व में पांडुरंग बलिराम महेशकर एवं अन्य को भूस्वामी अधिकारों के आधार पर किया गया था, जिसे उत्तराधिकार के आधार पर श्री सुघोष पांडुरंग महेशकर ने प्राप्त किया। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं है तथा परती पड़ी हुई है। संबंधित भूमि के संबंध में पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से विक्रय विलेख निष्पादित करने की प्रक्रिया अपनाई गई है।

मंडल अधिकारी, बल्लारपुर की रिपोर्ट के अनुसार, भूमि पर कच्चा खाका तैयार कर अवैध रूप से भूखंड बनाकर विक्रय किया जा रहा है, जिसे संबंधित व्यक्तियों द्वारा स्वीकार भी किया गया है। महाराष्ट्र भूमि राजस्व (सरकारी भूमि का निपटान) नियम, 1971 के नियम 15 के अनुसार, बिना जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति भूमि का हस्तांतरण विधिसम्मत नहीं है।

उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि संबंधित भूमि का अनुचित उपयोग करते हुए उसका अवैध निपटान किया गया है, अतः उक्त भूमि को शासन के अधीन पुनः हस्तांतरित किया जाना उपयुक्त होगा। महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 36 एवं 36ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर इस प्रकरण में निर्णय हेतु मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

दिनांक 18.09.2025 की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई थीं—

क. संबंधित प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए तथा दोषी अधिकारियों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

ख. आवेदक की भूमि का सीमांकन कर अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

ग. प्लॉटिंग कर निर्मित मकानों के संबंध में यदि स्थानीय निकायों द्वारा जल, विद्युत आदि सुविधाएं प्रदान करने में कोई अनियमितता की गई हो तो उनके विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

6. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.04.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, जिला–चंद्रपुर, जिलाधिकारी कार्यालय, चंद्रपुर (महाराष्ट्र) की ओर से डॉ. संतोष एम. थिटे, अतिरिक्त कलेक्टर (Additional Collector), चंद्रपुर व उनके साथ संबंधित कार्यालय के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे तथा याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में उपस्थित प्राधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है कि वह इस प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है।

7. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसा/निर्णय :

उपरोक्त तथ्यों एवं सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कथनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा स्वेच्छा से अपनी शिकायत वापस ले ली गई है तथा वह इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अतएव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रकरण का निस्तारण करते हुए इसे बंद करने का निर्णय लिया गया ।

(अंतर सिंह आर्य)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/DEV-3509/MH/283/2024-RO-BH (RU-I)

दिनांक: 20.04.2026

विषय: अनावेदकों द्वारा आवेदिका के पूर्वजों की भूमि पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कब्जा किए जाने के संबंध में श्रीमती कितूंशा प्रकाश गडपायले व अन्य, निवासी-वाडी, नागपुर (महाराष्ट्र) से प्राप्त दिनांक 04.07.2024 के अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 20.04.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

जिलाधिकारी, जिला-चंद्रपुर,
जिलाधिकारी कार्यालय, चंद्रपुर-442401, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	डॉ. संतोष न. थिटे	Add. Coll. Chimur	8888889008	
2.	डॉ अर्जुन पावार	SDO Ballarpur	8805635432	
3.	Vishal Wagh	Chief officer Ballarpur	9960193829	
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				